जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर जिला धौलपुर (राज.)

सत्र 2018-19 के लिए विद्यालय परिसर में कैन्टीन/पीसीओ संचालन हेतु निविदा दरें

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	निविदादाता द्वारा देय अधिकतम किराया दर प्रति माह
01	विद्यालय परिसर में कैन्टीन एवं पीसीओ संचालन का कार्य ।	

<u>नियम एवं शर्ते</u> :-

1. निविदा में स्वीकृत अधिकतम किराये की राशि के अलावा प्रति माह विद्युत शुल्क लद्युतम कम से कम रू0 125/- प्रति माह अथवा मीटर की यूनिट की गणना से प्रचलित दर से विद्युत खर्च यूनिट के हिसाब से वसूला जावेगा। न्यूनतम राशि रू0 125/- विद्यालय अवकाश ग्रीष्मावकाश के अतिरिक्त (ठेका अवधि) में कैन्टीन बन्द रहने की स्थिति में भी वसूल की जावेगी।
2. कैन्टीन/पीसीओ का संचालन प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर, जिला - धौलपुर (राज0) के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होने पर यह ठेका रद्द किया जा सकता है तथा जमा धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी जिसके लिये किसी भी प्रकार का वाद स्वीकार नहीं होगा ।
3. प्राचार्य द्वारा जारी सूची के अनुसार ही सामग्रियों की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर ही बिक्री की जावेगी । एमआरपी से अधिक बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी । शिक्षण संस्थाओं में प्रतिबन्धित सामग्री कैन्टीन में ना ही रखी जावेगी तथा ना ही बिक्री की जावेगी जिसकी प्राचार्य अथवा उनके नामित सदस्य द्वारा कभी भी बिना पूर्व सूचना के जांच की जा सकती है । बिक्री हेतु उपलब्ध सामान की सूची मय रेट प्राचाय से अनुमोदन कराकर काउन्टर पर लगानी होगी ।
4. कैन्टीन केवल अनुशासन एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर खोली जा रही है। विद्यार्थी केन्टीन से सामान क्रय हेतु प्रतिबन्धित नही है। छात्र एवं छात्राओं के लिए प्राचार्य द्वारा जारी आदेश में वर्णित समय पर ही कैन्टीन खोली व बन्द की जावेगी। प्रस्तावित समय प्राचार्य जनवि धौलपुर द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद माह जुलाई 2018 से निर्धारित किया जायेगा । कैन्टीन/पीसीओ में सामग्री बिक्री केवल मात्र विद्यार्थियों, स्टाफ सदस्यों एवं उनके परिजनों तक ही सीमित होगी । किसी भी स्थिति में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा ।
5. नवोदय विद्यालय एक सह-आवासीय विद्यालय होने के कारण कैन्टीन संचालक का कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक नहीं पाये पर मात्र एक नोटिस जारी कर अनुबन्ध करार बीच में रद्द कर दिया जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी जिसके लिये किसी भी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा ।
6. केन्टीन संचालन में लगाये गये पी.सी.ओ से होने वाली काल्स की दर राशि रुपये 2/- प्रति मिनट से अधिक नहीं ली जायेगी ।
7. केन्टीन संचालक छात्रों को आवश्यकतानुसार ए-4 साईज फोटो कॉपी (जीरोक्स) कार्य उपलब्ध करायेगा जिसकी दर 1/- प्रति पेज से अधिक नहीं होगी ।
8. केन्टीन संचालक छात्रों को आवश्यकतानुसार पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ कार्य दो दिवस में उपलब्ध करायेगा जिसकी दर 20/- में चार पासपोर्ट साईज फोटो से अधिक नहीं होगी ।
9. विद्यालय में शीतकालीन /पतझड अवकाश के अवधि में छात्रों के अवकाश की स्थिति में किराये में अनुपातिक आधार पर कमी का अधिकार विद्यालय प्राचार्य का होगा।
10. स्वीकृत किराया राशि माह के प्रारम्भ में दिनॉंक 5 तक आवश्यक रूप से जमा करनी होगी।
11. केन्टीन संचालन के कारण होने वाली गन्दगी की सफाई का कार्य केन्टीन संचालक (निविदादाता) को स्वयं करानी होगी एंव केन्टीन के चहु ओर साफ सफाई रखनी होगी ।
12. आपूर्तिकर्ता के पास <u>Food Safety and Standards Act, 2006</u> का लाईसेंस होना अनिवार्य हैं ।

<u>For office use only</u>

PAC Member Sign

1.

2.

3.

4.

5.

घोषणा

मैंने प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर की सभी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तो को भली भॉंति पढ लिया है एवं मैं उन्हें स्वीकार करता हूॅं । यदि पालन में कोई कमी रह जाती है तो मेरी धरोहर राशि जप्त की जा सकती है ।

दिनांक **निविदादाता के हस्ताक्षर नाम पता मय सील**

दूरभाष नम्बर : ....

निविदादाता का बैक खाता सख्या : ....

बैक का नाम जहा खाता हैं : ....

बैक का IFSC Code : ....